

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1867] No. 1867] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2017/आषाढ़ 13, 1939 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2017/ASADHA 13, 1939

## कोयला मंत्रालय

## अधिसूचना

# नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2017

का.आ. 2099(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 4 अक्तूबर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3143(अ), तारीख 3 अक्तूबर, 2016 द्वारा उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 03.68 हेक्टेयर (लगभग) या 09.09 एकड़ (लगभग) परिक्षेत्र की भूमि में और उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, उपर्युक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और झारखंड सरकार से परामर्श करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 03.68 हेक्टेयर (लगभग) या 09.09 एकड़ (लगभग), माप वाली भूमि में और उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 03.68 हेक्टेयर (लगभग) या 09.09 एकड़ (लगभग), माप वाली भूमि में और उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

4131 GI/2017

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्यांक आरईवी/07/2017, तारीख 26 मई, 2017 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला बोकारो, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक बी. एण्ड के. क्षेत्र, जिला बोकारो (झारखंड) या महाप्रबंधक, भूमि और राजस्व, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची- 334001, झारखंड या मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची-834031, झारखंड के कार्यालय में किया जा सकता है।

# अनुसूची

कोनार खुली खदान परियोजना, बी. एण्ड के. क्षेत्र

जिला - बोकारो (झारखंड)

(रेखांक संख्यांक आरईवी/07/2017, तारीख 26 मई, 2017)

#### सभी अधिकार:

豖.	ग्राम	थाना	थाना	जिला	क्षेत्र	क्षेत्र	टिप्पणी
सं.		6203.3	सं.	2017/30301 2017/45	(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)	
1.	बेरमो	नावाडीह	18	बोकारो	03.68	09.09	भाग
		कुल क्षेत्रफल	:		03.68 हेक्टेयर (लगभग)	09.09 एकड़ (लगभग)	- 4,

ग्राम बेरमो में अर्जित किए गए प्लाट की संख्या : 221 (भाग)। सीमा – वर्णन:

क-ख-ग-ट

रेखा बिन्दु 'क' से प्रारम्भ होती है और ग्राम बेरमो की प्लॉट सं. 221 की अधिग्रहित सीमा के साथ न्यू कारो ब्लॉक, जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उप-धारा (1) के संख्या का.आ. 3154, दिनांक 10 अगस्त 1976, जो भारत के राजपत्र में, तारीख 28 अगस्त, 1976 को प्रकाशित, के अधीन अधिग्रहित भूमि की सीमा रेखा पर शुरू होकर प्लॉट संख्या 221 के अधीन बिन्दु 'ख' और 'ग' से गुजरती है और प्लॉट सं. 221 के अंतर्गत बिन्दु 'ट' पर मिलती है।

ट-ठ-क

रेखा बिन्दु 'ट' से प्रारम्भ होती है और बिन्दु 'ट' से गुजरते हुए प्लॉट संख्या 221 की अधिग्रहित सीमा के साथ न्यू कारो ब्लॉक, जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उप-धारा (1) के का.आ. 3154, तारीख 10 अगस्त 1976, जो भारत के राजपत्र, तारीख 28 अगस्त, 1976 को प्रकाशित, के अधीन

अधिग्रहित भूमि की सीमा रेखा से गुजरती हुई और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/27/2017-एलएआईआर]

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COAL

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2017

S.O. 2099(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 3143(E), dated the 3<sup>rd</sup> October, 2016 issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 4<sup>th</sup> October, 2016, the Central Government gave notice of its intention to acquire the all rights in and over the land measuring 03.68 hectares (approximately) or 09.09 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Jharkhand is satisfied that the all rights in and over land measuring 03.68 hectares (approximately) or 09.09 acres (approximately), described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that all rights in and over land 03.68 hectares (approximately) or 09.09 acres (approximately), described in the Schedule annexed hereto are hereby acquired.

The plan bearing number REV/07/2017, dated the 26<sup>th</sup> May, 2017 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, District - Bokaro, Jharkhand or at the Office of Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata -700001 or in the Office of the General Manager B and K Area, District Bokaro, Jharkhand or General Manager, Land and Revenue, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi- 834001, Jharkhand or Chief General Manager, (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi - 834031, Jharkhand.

#### SCHEDULE

#### KONAR OCP OF B AND K AREA

DISTRICT-BOKARO (JHARKHAND)

(Plan bearing number Rev/07/2017, dated the 26th May, 2017)

All Rights:

Sl. No.	Village	Thana	Thana No.	District	Area (in hectares)	Area (in acres)	Rema-rks
1.	Bermo	Nawadih	18	Bokaro	03.68	09.09	Part
	ALIE PLÉI	Total Area	03.68 hectares (approximately)	09.09 acres (approximately)			

Plot number acquired in village Bermo: 221(P).

Boundary Description:

A-B-C-K

Line starts from point 'A' within plot No. 221 of village Bermo on acquisition boundary of land acquired under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 under sub section (1) of section 9 vide number S.O. 3154, dated the 10<sup>th</sup> August, 1976, published in the Gazette of India on 28<sup>th</sup> August, 1976 for New Karo Block and passes through point 'B' and 'C' within plot No. 221 and meets at point 'K' within plot No. 221.

K-L-A

Line starts from point 'K' and passes through point 'L' within plot No. 221 on acquisition boundary of land acquired under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 under sub section (1) of section 9 vide number S.O. 3154, dated the 10<sup>th</sup> August, 1976, published in the Gazette of India on 28<sup>th</sup> August, 1976 for New Karo Block and meets at starting point 'A'.

[F. No. 43015/27/2017-LAIR] VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.